औद्योगिक भूखंडों का आवंटन अब लॉटरी से

भूखंड देने की अलग-अलग नियम और शर्तें समाप्त कर पूरे प्रदेश के लिए एक समान नीति बनेगी

औद्योगिक विकास को मिली गति मंत्री नंदी और राकेश सचान की बैठक में लिया गया निर्णय

लखनऊ। प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में भूखंड उपलब्ध कराने के अलग-अलग नियम और शर्तें समाप्त कर पूरे प्रदेश के लिए एक समान नीति बनेगी। भविष्य में भूखंड आवंटन नीलामी से न होकर लॉटरी से होगा। आवंटित भूमि का इस्तेमाल उद्योग की स्थापना के लिए नहीं करने, भूमि का दुरुपयोग करने या हस्तांतरण करने पर आवंटन स्वतः निरस्त हो जाएगा। यह निर्णय बुधवार को औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री राकेश सचान की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया।

बैठक में लघु उद्योग भारती प्रतिनिधिमंडल और शासन के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के विस्तार, उद्योग स्थापना की प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा औद्योगिक क्षेत्रों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने पर चर्चा हुई। प्रस्तावित किया गया कि एक प्रकार के उत्पादों के लिए एक ही औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड आवंटन कर क्लस्टर तैयार किए जाएं। सूक्ष्म उद्यमियों को सस्ती किस्तों पर शेड उपलब्ध कराकर प्लग एंड प्ले सुविधा विकसित करने पर भी सहमति बनी।

लीज रेंट हो न्यूनतम : चर्चा के दौरान उद्योगों के लिए लीज रेंट न्यूनतम करने और भूखंड सरकारी भूमि पर होने पर केवल विकास व्यय ही लेने पर सहमति बनी। निजी भूमि के आवंटन में कुल लागत और विकास व्यय पर कम से कम 25 प्रतिशत की छूट प्रदान करने का सुझाव दिया गया। जो उद्योग किराये के स्थानों पर चल रहे हैं या जो विस्तार करना चाहते हैं, उन्हें भूमि आवंटन में प्राथमिकता देने पर भी सहमति बनी। ब्यूरो